हअन्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 169/2023 निर्णय दिनांकः– 10-04-26
(आरसीएमएस संख्या 2023/376)

1. ओमप्रकाश
2. तुलछाराम
3. पूर्णराम
4. भागीरथ
5. महावीर

पिसरान बदरूराम जाति बिश्नोई साकिन चक 7 आर.एम.डी. तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. बेबीकंवर पत्नी नत्थुसिंह जाति राजपुत साकिन चक 7 आर.एम.डी. तहसील पूगल जिला बीकानेर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 14–02–2023
उपखण्ड़ अधिकारी, पूगल

उपस्थितिः–

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्स
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने उक्त अपील उपखण्ड़ अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 14–02–2023 जिसके द्वारा अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना अपीलाधीन भूमि का स्मॉलपेच में आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन(इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट की चक 7 आर.एम.डी. के मु.न. 178/14 के कि.न. 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 24 तादादी 5.0580 हैक्टेयर खातेदारी भूमि है तथा इसी मुरब्बा मे यानी चक 7 आर.एम.डी. के मु.न. 178/14 के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 तादादी 0.8094 हैक्टेयर यानी 3.04 बीघा अराजीराज दर्ज है जिसको स्मालपेच आवटन मे आवटन करने के लिए रेस्पोडेन्ट स. 1 ने आवेदन किया और अपीलान्ट उसी चक का पुश्तैनी रहवासी है। अपीलांट को आवंटन से पूर्व किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नही हुई। रेस्पोडेन्ट स. 1 का स्थानीय रहवास नहीं और ना ही उसका रकबा जैर भूमि मे है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट स. 1 को नाजायज लाभ देने के लिए आनन फानन मे जैर अपील आदेश पारित किया है जो कतई उचित नही है। दोनो पक्षो को सुनकर वरियता निर्धारण कर ओदश स्पीकिंग होने चाहिए थे। अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश मनमाने व स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया है जबकि आवटन नियमो मे स्पष्ट व्यवस्था है कि स्मालपेच आवटन मे जिस मुरब्बा मे आवटन योग्य भूमि है के सभी काश्तकारो को नोटिस देकर सुना जाना चाहिए तथा चिपते काश्तकारो को भी सुचना रहे फिर सुचना प्रकाशन या नोटिस रजिस्टेड भेजने की स्थिति मे 30 दिवस की अवधि पश्चात आगामी कार्यवाही पत्रावली पर की जाने के प्रावधान है ताकि हितबद्व व्यक्ति अपना पक्ष रख सके लेकिन उक्त प्रकरण मे ऐसे काश्तकार को जो जैररकबा का काश्तकार नही है तथा अपीलान्ट के रकबे के अन्दर भूमि है को बिना सुने बिना सुचना दिए इक तरफा आवटन कर दिया। जैर अपील भूमि के अपीलान्ट हकदार थे तथा अपीलान्ट के खेत मे घुसने का रास्ता भी उक्त कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 से ही है तथा संयुक्त खाते की भूमि पर सब को अलग अलग रास्ता कायम है तथा अपीलान्ट का कब्जा काश्त है सड़क की चिपती भूमि देख कर लालचवश रेस्पोडेन्ट स. 1 ने आवंटन करवाया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने जानकारी होते हुए भी साज बाज से नियम विरूद्ध रेस्पोडेन्ट स. 1 के पक्ष में आवटन कर दिया जो जैर अपील आदेश निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का संधारण करते वक्त ना ही सुचना का प्रकाशन किया ना ही अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया और ना ही रिकार्ड की तरफ घ्यान दिया और एक ही दिन मे नोटसीट तैयार कर उसी रोज जैर अपील आदेश

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पारित कर दिया गया। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट पात्र नही होने के बावजूद जैर अपील आदेश पारित करने मे अधिनस्थ न्यायालय ने भारी भुल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश आवटन अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी पूगल के आदेश दिनांक 14.02.23 निरस्त किया जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किय कि दिनाक 25.07.23 को रेस्पोडेन्ट स. 1 दो अनजान व्यक्ति लेकर मौके पर आये और कहा कि उक्त 3.04 बीघा भूमि हमने आवटन करवाकर अपने नाम करवा ली है अब आगे बेचान करेगे। इस धमकी से अधिकारो पर आक्रमण हुआ और जैर अपील आदेश की जानकारी कर पटवारी हल्का से इन्तकाल की नकल ली और 28.07.23 को आवटन अधिकारी के पास नकल हेतु आवेदन किया तो चार पाच दिन तक चक्कर लगाने के बाद कर्मचारी ने कहा विशेष आवटन मे शिकायत होने पर समस्त प्रकार के आवटन की पत्रावलीया अतिरिक्त जिला कलक्टर बीकानेर ले गये आप वही से लेवे हम कोई लिख कर नही देगे तो दिनाक 04.08.23 को नकल प्रभारी व अतिरिक्त जिला कलक्टर बीकानेर को प्रार्थना पत्र पेश कर जैर अपील आदेश की नकल चाही लेकिन आज दिनाक नकल नही दी गई और ना ही प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही की और दिनाक 22.08.23 को रेस्पोडेन्ट स. 1 ने खेत मे घुस कर जबरन कब्जा करना चाहा तो वकील से मिलकर जानकारी के दिन से अन्दर मियाद प्रमाणित नकल की छुट के साथ प्रमाणित इन्तकाल व पट्टा पर अपील पेश कर रहे है। उक्त जैर अपील आदेश की प्रथम बार जानकारी हुई जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। परन्तु बावजूदर सूचना वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

5. अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुण पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

हस्तगत अपील में न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह है कि–

ए– क्या अपीलांट प्रश्नगत भूमि का चिपता काश्तकार है अथवा नही?

बी– अपीलांट व रेस्पोडेन्ट मे से उच्च वरियता किसकी बनती थी?

सी– क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आवंटन आदेश जारी करने से पूर्व चिपते काश्तकारो को सम्यक रूप से सूचित किया अथवा नही?

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाधीन आवंटित भूमि चक 7 आरएमडी के मुरब्बा नम्बर 178/14 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16 व 25 में कुल 3.04 बीघा भूमि स्थित थी। अपीलांट की भूमि चक 7 आरएमडी के मुरब्बा नम्बर 178/14 के किला नम्बर 1 से 4, 7 ता 14, 17 ता 24 में स्थित है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि चक 7 आरएमडी के मुरब्बा नम्बर 178/15 के किला नम्बर 1 ता 25 में स्थित है। इससे स्पष्टतः प्रकट होता है कि अपीलांट की भूमि उसी/समान मुरब्बे में आवंटित भूमि के चिपती हुई थी। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि अन्य मुरब्बे में स्थित थी। इस सूरत में अपीलांट प्रश्नगत भूमि का टेन्योर टिनेन्ट था।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 14 के अनुसार **"Notwithstandin anything to the contrary contained in these rules, small patch of Government land may be allotted, to a tenure tenant whose tenure land adjoins such patch, subject to the ceiling area at the index price for land of a similar soil class in the neighbourhood. Provided that if the tenant of the adjoining land fails to apply for the allotment of small patch, the Allotting Authority shall make arrangement for making allotment of such small patch to the tenure tenant of the same chak or of the adjoining chak."**

उक्त प्रावधान में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि स्मालपेच आवंटन चिपते खातेदार काश्तकार को किया जा सकता है। स्मॉलपेच आवंटन में प्रथम वरियता उसी मुरब्बे के चिपते काश्तकार की होती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट उसी मुरब्बे का काश्तकार था जिसमें आवंटन योग्य भूमि उपलब्ध थी। अपीलांट इस भूमि का टिन्योर टिनेन्ट भी था। इस मुरब्बे में अपीलाधीन आवंटित भूमि को छोड़कर मुरब्बे की शेष भूमि अपीलांट के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। अपीलाधीन भूमि के दूसरी ओर भी अपीलांट की भूमि थी। इस स्थिति में प्रश्नगत भूमि के दोनो तरफ अपीलांट की भूमि स्थित थी। इस सूरत में अपीलांट इस भूमि को आवंटन कराने का प्रथम हकदार था। प्रथम वरियता अपीलांट की बनती थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नोटिस की सम्यक तामील करवाये बिना ही यह भूमि अन्य मुरब्बे के काश्तकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित कर दी। जो कि विधिक दृष्टि से उचित प्रतीत नही होता है। यदि चिपते काश्तकारो को नोटिसो की सम्यक तामील करवाई जाकर आवेदन प्राप्त किये जाते और जरिये निलामी इस भूमि का आवंटन किया जाता तो राज्य पक्ष को अधिक आय प्राप्त होती।

उपर्युक्त विवेचन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन भूमि के आवंटन से पूर्व चिपते काश्तकारो को सम्यक रूप से सूचित नही किया गया। टिन्योर टिनेन्ट को उक्त भूमि आवंटन न करके रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जिसकी भूमि अन्य मुरब्बे में स्थित थी,

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आवंटन किया गया। इस सूरत में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नही आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील आशिंक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड़ अधिकारी, पूगल दिनांक 14–02–2023 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वे अपीलांट व अन्य चिपते काश्तकारों को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 10-04-26 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर